भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2437

18.12.2023 को उत्तर के लिए

अवैध खनन के कारण पर्यावरण की क्षति

2437. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में, विशेषकर पंजाब में, अवैध खनन माफियों द्वारा नदी बेसिन की अनियंत्रित खुदाई के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का इस संबंध में दोषी राज्यों और राज्य अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है;

(ग) देश में ऐसे अवैध खनन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां खनन कार्य हो रहे हैं जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान और खतरा पैदा हो रहा है; और

(घ) देश में अवैध खनन की समीक्षा करने तथा अवैध खनन वाले स्थानों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ): खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) 1957 की धारा 23ग राज्य सरकारों को अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है और राज्य सरकारें सरकारी राजपत्र में अधिसूचना को प्रकाशित करके खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए ऐसे नियम बना सकती हैं। अतः, अवैध खनन का नियंत्रण राज्य सरकारों के विधायी और प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने वर्ष 2020 में रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो सतत रेत प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 के पूरक हैं, ताकि देश में रेत खनन की पहचान से लेकर उपभोक्ताओं और आम जनता द्वारा इसके निर्णायक अंत्य-उपयोग को विनियमित किया जा सके और प्रत्येक चरण में रेत खनन की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम सेवाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अवैध खनन की घटना को नियंत्रित किया जा सके। यह दस्तावेज नियामक प्रावधान (ओं) के प्रवर्तन के लिए जल स्तर और अन्य पर्यावरणीय मापदंडों सहित महत्वपूर्ण जानकारी के संग्रह के लिए एक दिशानिर्देशक के रूप में कार्य करता है और यह सतत रेत खनन के लिए प्रभावी निगरानी और अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डालता है।

इसके अलावा, खनिजों के खनन के कारण पर्यावरण सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एमओईएफ और सीसी ने कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, समय-समय पर संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता को अनिवार्य बनाना शामिल है। बेसलाइन डेटा सृजन ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।यह अध्ययन वैज्ञानिक रूप से विकसित और व्यापक रूप से स्वीकृत पर्यावरणीय प्रभाव पद्धति का उपयोग करके अध्ययन / परियोजना क्षेत्र में विभिन्न पर्यावरणीय विशेषताओं पर प्रभावों के मूल्यांकन और अनुमान में मदद करता है जिसमें वायु गुणवत्ता, जल, ध्वनि, भूमि पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और सामाजिक-आर्थिक पैरामीटर शामिल हैं।

****